कार्यालय, जिला पंचायत, अमेठी

पत्रांकः 03 /मानचित्र/जि0पं0/2022–23 दिनांकः 07 .07.2022

श्रीमती मधुरिमा सिंह,
प्रबन्धक उमारमण जनकल्याण समिति जामों
(रानी गणेश कुंवरि कॉलेज ऑफ फार्मेसी जामों)
ग्रामसभा अलीपुर (गौरा जामों) विकास खण्ड जामों
तहसील– गौरीगंज, जनपद–अमेठी।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्रामसभा अलीपुर (गौरा जामों) विकास खण्ड जामों तहसील गौरीगंज जनपद अमेठी में व्यवसायिक भवन (शैक्षणिक भवन) कार्य का निर्माण खसरा संख्या– 44, 45, 46, 47, 48, 51,54 मि, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 58, 59, 61, 63, 64 में प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में प्रश्नगत व्यवसायिक भवन (शैक्षणिक भवन) कार्य का निर्माण खसरा संख्या– 44, 45, 46, 47, 48, 51,54 मि, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 58, 59, 61, 63, 64 में प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 5104 वर्गमीटर में ही कराया जाये।
2. प्रतिबन्ध रहेगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड, अन्य सुसंगत गाईड लाइन एवं अभिलेखों के प्राविधानों को शत प्रतिशत अपनाया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रतिबन्ध रहेगा कि फ्रंट सेट 7.50 मीटर, साईड सेट 4.50 मीटर एवं रियर सेट 6.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा।
4. प्रतिबन्ध रहेगा कि अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार फायर सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा।
5. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू–खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू–आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा।
6. प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत भवन में सीवरेज़ निस्तारण की व्यवस्था भू–स्वामी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
7. प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तावित भू–खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
8. प्रतिबन्ध रहेगा कि उपविधि के अधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत,अमेठी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
9. प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन मानचित्र में दर्शित विद्युत व्यवस्था , पेयजल व्यवस्था एवं पॉर्किंग आदि की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिबन्ध रहेगा कि प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
11. प्रतिबन्ध रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दू के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स– 1965 के नियम– 7 यथावत ला रहेंगे अथवा मुख्य सड़क एवं आंतरिक सड़क की न्यूनतम चौड़ाई मानक के अनु होनी चाहिये।

36

12. प्रतिबन्ध रहेगा कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्वीकृत मानचित्र/ भवन मे... प्रकार का परिवर्धन/ परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

13. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुमोदित भवन मानचित्र किसी भी दशा में भू-स्वामि... अभिलेख नहीं मांगा जायेगा।

14. प्रतिबन्ध रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठे... आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य... विभागों से जिनसे लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उ... लाइसेंस/ अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

15. प्रतिबन्ध रहेगा कि अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आये कि... भवन निर्माण नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा उसके... द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गई नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

अभियंता
जिला पंचायत,अमेठी

5.7.22
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, अमेठी